रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1096] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2017/वैशाख 1, 1939
No. 1096] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2017/VAISAKHA 1, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2017

का.आ. 1239(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(1) मद (xvii) और (xviii) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(xvii) निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, केरल सरकार, तिरुअनंतपुरम ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"
"(xviii) (क) कृषि निदेशक, गुजरात सरकार, अहमदाबाद ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"
(ख) कृषि निदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"

[फा. सं. 19-6/2008-पीपी-1.जिल्द-II]
अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें का.आ. 847, तारीख 16 मार्च, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Framers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2017

S.O. 1239(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:-

In the said notification, for items (xvii) and (xviii) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:-

"(xvii) Director of Health Services, Government of Kerala, Thiruananthapuram.	(For a period of three years form the date of publication of this notification)
(xviii) (a) Director of Agriculture, Government of Gujarat, Ahmedabad.	(For a period of three years form the date of publication of this notification)
(b) Director of Agriculture, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	(For a period of three years form the date of publication of this notification)

[F. No. 19-6/2008-PP-I Vol. II]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub- section (i), *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and last amended vide number S.O. 847(E), dated the 16th March, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2017.04.29 12:13:46 +05'30'